उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1
लखनऊ : दिनांक :10 अगस्त, 2022

कार्यालय–ज्ञाप

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशो के अनुपालन में चिकित्सकीय समापन हेतु भारत सरकार द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–एम0ई0–1/2020/4161, दिनांक 22.12.2020 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–90/71–1–2021– यू0ओ0–68/2019, दिनांक 08 जनवरी, 2021 द्वारा राज्य स्तर पर 20 सप्ताह से उपर के गर्भ के चिकित्सकीय समापन हेतु निम्न विवरणानुसार स्थायी मेडिकल बोर्ड का गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी हैः–

क0स0	पदनाम	प्रास्थिति
1.	विभागाध्यक्ष, आब्स एण्ड गायनी, के0जी0एम0यू0 लखनऊ।	अध्यक्ष
2.	विभागाध्यक्ष, बाल रोग विभाग, के0जी0एम0यू0 लखनऊ।	सदस्य
3.	विभागाध्यक्ष, रेडियोलॉजी विभाग, के0जी0एम0यू0 लखनऊ।	सदस्य
4.	विभागाध्यक्ष, कार्डियोलॉजी विभाग, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।	सदस्य
5.	विभागाध्यक्ष, न्यूरोलोजी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।	सदस्य
6.	विभागाध्यक्ष, साइकियाट्री, के0जी0एम0यू0 लखनऊ द्वारा नामित साइकियाट्री	सदस्य काउंसलर
7.	चिकित्सा अधीक्षक, के0जी0एम0यू0, लखनऊ (प्रतिनिधि हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन)	सदस्य सचिव
8.	विभागाध्यक्ष, जेनेटिक्स, एस0जी0पी0आई0 लखनऊ	सदस्य

2— उपर्युक्तानुसार गठित स्थायी मेडिकल बोर्ड द्वारा निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन कार्यवाही की जायेगीः—

1. यदि अपरिहार्य कारण वश विभागाध्यक्ष उपलब्ध नही होते है तो इनके द्वारा प्रतिस्थानी के रूप में वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया जायेगा।
2. मेडिकल बोर्ड में कम से कम एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। इस हेतु विभागाध्यक्ष, आब्स एण्ड गायनी द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
3. मा0 उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर तत्काल मेडिकल बोर्ड की बैठक सम्पन्न की जायेगी।
4. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशानुसार व उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर ही बोर्ड द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।
5. मा0 न्यायालय को रिपोर्ट उपलब्ध कराने का कार्य चिकित्सालय प्रशासन द्वारा नामित सदस्य द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

3— उक्त के परिप्रेक्ष्य में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या—एम0ई0—1/2022/1968, दिनांक 09.06.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मत्रालय, भारत सरकार को 24 सप्ताह से अधिक अवधि के गर्भ के चिकित्सकीय समापन हेतु स्थायी मेडिकल बोर्ड के गठन हेतु आदेशित किया गया है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत गर्भ के समापन की सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह का संशोधन करते हुए स्थायी मेडिकल बोर्ड के गठन की संस्तुति की गयी है।

4— अतएवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—90/71—1—2021—यू0ओ0—68/2019, दिनांक 08 जनवरी, 2021 के प्रस्तर—1 में ''20 सप्ताह से उपर के गर्भ के चिकित्सकीय समापन'' के स्थान पर ''24 सप्ताह से उपर के गर्भ के चिकित्सकीय समापन'' की स्वीकृति एतदद्वारा श्री राज्यपाल प्रदान करते है। शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या–   तद्‌दिनांक।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4– मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, लखनऊ।
5– समस्त मण्डलायुक्त।
6– समस्त जिलाधिकारी।
7– विभागाध्यक्ष, आब्स एण्ड गायनी, के0जी0एम0यू0 लखनऊ।
8– विभागाध्यक्ष, बाल रोग विभाग, के0जी0एम0यू0ल0 लखनऊ।
9– विभागाध्यक्ष, रेडियोलॉजी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
10– विभागाध्यक्ष, कार्डियोलॉजी, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ।
11– विभागाध्यक्ष, न्यूरोलॉजी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
12– विभागाध्यक्ष, साइकियाट्री, के0जी0एम0यू0 लखनऊ।
13– चिकित्सा अधीक्षक, के0जी0एम0यू0 लखनऊ।
14– विभागाध्यक्ष, जेनेटिक्स, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ।
15– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।